

बिहार सरकार

वित्त विभाग ।

सूचना

स्टाफकार/वाहन की नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पटना स्थित मुख्य सचिवालय परिसर में रखे गये वर्तमान में वित्त विभाग के अधीन कुल-02 (दो) स्टाफकारों/वाहनों की जहां है, जैसे है, के आधार पर खुली डक द्वारा नीलामी, वित्त विभाग के नीलामी समिति की देख-रेख में दिनांक-10.07.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में मुख्य सचिवालय परिसर में वित्त विभाग के चालक विश्राम गृह के पास किया जायेगा । आवश्यकतानुसार प्रस्तावित नीलामी हेतु स्टाफकारों/वाहनों का निरीक्षण कार्यालय अवधि में क्रेता द्वारा श्री अरूण कुमार, संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग से सम्पर्क कर किया जा सकता है ।

वाहनों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	वाहन संख्या	वाहन के प्रकार	क्रय वर्ष	चेचिस नम्बर	ईजन नम्बर	MVI द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य (रु० में)	प्रतिभूति की राशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BR-01BY-0111	टाटा सफारी	2014	MAT617002ENF04965	22LDICOR09FVY J08287	2,25,000/-	22,500/-
2.	BR-01PF-0001	टाटा सफारी	2014	MAT617001ENF05410	22LDICOR09FVY J08966	2,25,000/-	22,500/-

नीलामी की शर्तें

- (1) उक्त नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त सूची में अंकित निर्धारित प्रतिभूति की राशि अलग-अलग वाहन के अनुसार बैंक ड्राफ्ट के रूप में "Joint Commissioner-Cum-DDO, Finance Department, Bihar " के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं उनके द्वारा यह बैंक ड्राफ्ट विहित प्रपत्र Annexure-A के साथ संलग्न कर दिनांक-09.07.2026 को 04.30 बजे अपराह्न तक वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा । उक्त समय के पश्चात् नीलामी हेतु बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- (2) विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय अवधि में श्री अरूण कुमार, संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग (मो० नं०-9431494215) से सम्पर्क कर किया जा सकता है । विस्तृत जानकारी के लिये State.bihar.gov.in/finance पर देखा जा सकता है ।

(अरूण कुमार)

संयुक्त आयुक्त,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार

वित्त विभाग ।

सूचना

स्टाफकार/वाहन की नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पटना स्थित मुख्य सचिवालय परिसर में रखे गये वर्तमान में वित्त विभाग के अधीन कुल-02 (दो) स्टाफकारों/वाहनों की जहां है, जैसे है, के आधार पर खुली डाक द्वारा नीलामी, वित्त विभाग के नीलामी समिति की देख-रेख में दिनांक-10.07.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में मुख्य सचिवालय परिसर में वित्त विभाग के चालक विश्राम गृह के पास किया जायेगा । प्रस्तावित नीलामी हेतु स्टाफकारों/वाहनों का निरीक्षण कार्यालय अवधि में क्रेता द्वारा आवश्यकतानुसार संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग से सम्पर्क कर किया जा सकता है ।

वाहनों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	वाहन संख्या	वाहन के प्रकार	क्रय वर्ष	चेचिस नम्बर	ईजन नम्बर	वाहन जहां रखा है
1	2	3	4	5	6	7
1.	BR-01BY-0111	टाटा सफारी	2014	MAT617002ENF04965	22LDICOR09F VYJ08287	मुख्य सचिवालय परिसर
2.	BR-01PF-0001	टाटा सफारी	2014	MAT617001ENF05410	22LDICOR09F VYJ08966	मुख्य सचिवालय परिसर

नीलामी की शर्तें

- (1) उक्त नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रतिवाहन 22,500/- (बाईस हजार पाँच सौ रुपये) का प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में "Joint Commissioner-Cum-DDO, Finance Department, Bihar " के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा और उनके द्वारा यह बैंक ड्राफ्ट विहित प्रपत्र Annexure-A के साथ संलग्न कर दिनांक-09.07.2026 को 04.30 बजे अपराह्न तक वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा । उक्त समय के पश्चात् नीलामी हेतु बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना परिचय पत्र के रूप में आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस का हस्ताक्षरित प्रति होगा ।

3/

- (3) नीलामी में भाग लेते समय उनके परिचय पत्र के आधार पर जमा राशि को देखने के उपरांत ही भाग लेने दिया जायेगा ।
- (4) उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष डाकवक्ता के जमानत की राशि नीलामी प्रक्रिया के 02 कार्य दिवसों के बाद वापस कर दिया जाएगा ।
- (5) सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कर वाहन ले जाया जा सकता है । एक सप्ताह के अन्दर राशि नहीं जमा करने पर उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि स्वतः जब्त हो जायेगी ।
- (6) वित्त विभाग को बिना कारण बताये डाक को निलंबित करने, स्थगित करने, तिथि बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
- (7) विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में श्री अरूण कुमार, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना (मो0 नं0-9431494215) से सम्पर्क किया जा सकता है ।


18/06/2026

(अरूण कुमार)

संयुक्त आयुक्त,

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

Annexure-A

नीलामी में भाग लेने हेतु बोली लगाने वाले का विवरण :-

बोली लगाने वाले का नाम:-

बोली लगाने वाले का पता:-

मोबाईल संख्या:-

क्र०सं०	गाड़ी संख्या	जमानत की राशि	अभ्युक्ति
1			
2			
	कुल राशि-		

बैंक ड्रॉफ्ट नंबर एवं तिथि :-

बैंक ड्रॉफ्ट की राशि :-

बैंक ड्रॉफ्ट की राशि शब्दों में :-

(नीलामी में भाग लेने वाले का हस्ताक्षर)